



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या - 44754 वर्ष 2025

राजा खानआवेदक(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अतुल कुमार पांडेय
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री अतुल कुमार पांडेय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता।

यह ज़मानत अर्जी आवेदक राजा खान की ओर से दायर की गई है, जो कथित तौर पर दिनांक 17.05.2025 से मथुरा जेल में निरुद्ध हैं

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री पांडे ने बताया कि उन्हें उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आवेदक का वाद सौंपा गया है। आवेदन के साथ पेज नंबर 79 पर एक हलफनामा भी लगा है, जिस पर आवेदक राजा खान का अंगूठे का निशान है और इसे मथुरा ज़िला जेल के जेलर ने संपुष्टि किया है। हालाँकि, हलफनामे में हलफनामा देने वाले राजा खान की उम्र नहीं बताई गई है।

यह हलफनामा न्यायालय के नियमों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ हैं; जैसे कि आवेदन पर हलफनामा देने वाले के हस्ताक्षर नहीं हैं, और न ही ज़मानत अर्जी के समर्थन में दायर हलफनामे के अलग-अलग पेजों पर उनके अंगूठे के निशान लगे हैं।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान ज़मानत अर्जी को वापस लेने की प्रार्थना की है, और साथ ही एक नई, विधिवत गठित अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता भी मांगी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, ज़मानत अर्जी को, प्रार्थना के अनुरूप, वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह ज़मानत अस्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति की एक फोटोकॉपी अभिलेख पर सुरक्षित रखने के बाद, उसकी मूल प्रमाणित प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दे।

16 जनवरी, 2026

दीपक/

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

Translated Version. Not for legal use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**